प्रवादी द्वारा हस्ताक्षर

22/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। मूल शुद्ध औचित्य सिद्ध हो चुका है अतः पत्रावली में अब कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। T.I. पत्रावली औचित्यहीन होकर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर में फर्म की जगह दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
सांभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2022.12.22 14:33:28 IST
Reason: SelfAttested